न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 राधना शर्मा , आरए0ए0एस0

प्रकरण संख्या–62 / 2014

उनवानः–

1. देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री राधेश्याम जाति ठाकुर निवासी मालौनी पंवार तहसील सैंपउ जिला धौलपुर
2. विशनस्वरूप पुत्र बद्रीप्रसाद (मृत दौराने वाद)
   2 / 1. मु0 श्रीमती गीता देवी वेवा स्व. विशनस्वरूप
   2 / 2. हरिओम ।
   2 / 3. आशीष । पिसरान विशनस्वरूप जातिगण वैश्य निवासी मालोनी पंवार
   2 / 4. अश्वनी । तहसील सैपउ जिला धौलपुर
   2 / 5. निशा ।

——————————————————————————————बादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र राधाकिशन
2. हरीशंकर पुत्र ओमी
3. श्रीमती चमेली पत्नि बाबू
4. जयप्रकाश पुत्र बाबू — जातिगण त्यागी निवासी ग्राम दूं का पुरा तहसील व जिला धौलपुर
5. आशा पत्नि जगदीश
6. श्रीमती पत्नि ओमी
7. अजय पुत्र ओमी
8. नरेश पुत्र बाबू
9. देवेन्द्र पुत्र बाबू
10. नीतू पुत्र बाबू
11. मीना देवी पत्नि रमाकान्त शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम स्वामी का पुरा तहसील बाडी
12. कल्पना अरेला पत्नि रामनाथ अरेला जाति ब्राम्हण निवासी गढी टडावली तहसील राजाखेडा
13. गुड्डी कुमारी पत्नि केदार सिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम मालौनी पंवार तहसील सैंपउ
14. वीघाराम पुत्र लज्जाराम । जाति गण लोधा निवासी ग्राम मोरेदा
15. मिथलेश पत्नि साहब सिंह । तहसील मनियां जिला धौलपुर
16. विनोद कुमार शर्मा पुत्र दामोदर दयाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम गन्हेदी तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर
17. मुकेश कुमार त्यागी पुत्र श्री महाराज सिंह त्यागी ग्राम गन्हैदी तहसील राजाखेडा
18. निर्मला गोयल पत्नि सुरेन्द्र कुमार गायेल जाति वैश्य केयर ऑफ जगन्नाथ प्रसाद रोशन मौहल्ला खेरागढ तहसील खेरागढ जिला आगरा उ0प्र0
19. निरोत्तम । पुत्रगण हरिविलास जाति वघेला निवासी सहरौन तहसील व जिला धौलपुर
20. उग्रसेन ।
21. कल्पना पत्नि रामलखन जाति ब्राम्हण निवासी डागरपुर तहसील व जिला धौलपुर
22. धन सिंह पुत्र देवीराम ।
23. विजेन्द्र सिंह पुत्र गुलाब सिंह । जाति वघेला निवासी कोटपुरा तहसील व जिला धौलपुर
24. रामसहाय पुत्र हाकिम सिंह ।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

25. नेतराम पुत्र भोदूराम
26. सज्जन खां पुत्र हफीज खां उल्ला खांन जाति मुसलमान निवीस नगरवास तहसील व जिला बहराईच उ0प्र0

प्रतिवादीगण

——————————————————— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटी एक्ट

उपस्थिति – 1. श्री किशन सिंह त्यागी, एडवोकेट वादीगण की ओर से

दिनांक 28.10.2024

निर्णय

वादीगण की ओर से यह दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटी एक्ट इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी ख.नं. 130 ग्राम सांडा तहसील व जिला धौलपुर में स्थित है। विवादित आराजी में वादीगण हिस्सा बराबर के खातेदार व काश्तकार है। मौके पर काबिज है।अन्य कोई व्यक्ति शरीक नही है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबध व सरोकार नही है। विवादित आराजी के उत्तर दिशा में ख.नं. 133 रकवा 5 बीघा 6 विस्वा वाके ग्राम सांडा स्थित है। अतः ख.नं. 130 से ख.नं. 133 की सीमा आपस में लगी हुई है। जिसके प्रतिवादी संख्या 1,2,3 खातेदार काश्तकार थे। प्रतिवादी नं. 1 ने आशा पत्नि जगदीश को मुख्त्यार आम दिनांक 29.07.2008 को नियुक्त किया प्रतिवादी नं. 2 ने प्रतिवादी सं. 6 को मुख्त्यार आम तथा प्रवितादी नं. 3 ने प्रतिवादी संख्या 8 को मुख्त्यार आम नियुक्त किया और उचित देखभाल व रहन वय मुन्तकिल करने का अधिकार प्रदान किए। आ.ख.नं. 133 ग्राम सांडा को मुख्त्यार आम आशा, नरेश ने आराजी को भूखण्ड बना कर विक्रय करने का निश्चय किया और नक्शा भूखण्ड बनवाया जिसमें दक्षिण दिशा में अपनी आराजी से अधिक रकवा का नक्शा गलत बनवाया क्योकि रकवा 5 बीघा 6 विस्वा से अधिक है। जिसके आधार पर भूखण्ड बनाकर विक्रय कर दिये है। करीब 2 माह पूर्व प्रतिवादी नं. 13 लगायत 26 ने विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की और उस पर निर्माण करना चाहा वादीगण ने उनसे जानकारी की तो उन्हे ज्ञात हुआ कि प्रवितदी नं. 11,12 ने प्रतिवादीगण को अपनी आराजी से अधिक रकवा का विक्रय किया है जिससे क्रेतागण को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है।प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी कि वह ऐसे ही कब्जा करेंगे वादीगण दीखे सो करें। अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से श्री अमित उपाध्याय एड0, प्रतिवादी संख्या 21 की ओर से श्री भगवती प्रसाद झा एड0, प्रतिवदी सं. 16व 17 की ओर से श्री सुरेश चन्द वर्मा एड0, प्रतिवादी संख्या 7,8,11,12,14,15,23 व 24 की ओर से श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश कर जवाब दावा हेतु समय चाहा। पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद उनकी ओर से कोई जवाब दावा पेश नही किया। अतः जवाब दावा का अवसर बन्द किया गया। शेष प्रतिवादीगण

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

की ओर से बावजूद तामील किसी के उपस्थित नही आने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य हेतु नक्शा ट्रेस प्रदर्स–1, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 45 ग्राम सांडा संवत 2066–69 प्रदर्स–2, खाता संख्या 48 ग्राम सांडा संवत 2066–69 प्रदर्स–3, खाता संख्या 96 ग्राम सांडा संवत 2066–69 प्रदर्स–4, खाता संख्या 96(मजकूर) ग्राम सांडा संवत 2066–69 प्रदर्स–5, प्रमाणित प्रति वयनामा प्रदर्स 6 लगायत 22 तथा प्रति नक्शा प्रदर्स–23 पेश की। वादी देवेन्द्र सिंह पीडब्ल्यू–1 का शपथ पत्र बावत मुख्य परीक्षण पेश किया एंव बयान दर्ज कराए।

विद्वान वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई एंव पत्रावली का अवलोकन किया। प्रदर्स–2 व प्रदर्स– 4 जमाबंन्दी संवत 2066–69 से विवादित आराजी पर वादीगण का खातेदार दर्ज रिकॉर्ड होना तथा ख.नं. 133 पर प्रतिवादीगण जगदीश वगैरा का दर्ज रिकॉर्ड होना स्पष्ट है। प्रदर्स 1 के अवलोकन से विवादित आराजी का ख.नं. 133 ग्राम सांडा से लगा होना स्पष्ट है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संवध व सरोकार जाहिर नही है। अतः बहस एकपक्षीय सुनने एंव पत्रावली का अवलोकन कर मनन करने के उपरांन्त हम दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी ख.नं. 130 वाके ग्राम सांडा तहसील व जिला धौलपुर में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नही करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28.10.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)